SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 286 & 287 OF THE BHARTIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023

In the Court of Miss Urvashi Suryawanshi, Judicial Magistrate First Class, Seoni (M.P.)

Case No.Sum No.--1715/26----- Complaint or report made on ------------------ Name and address of the complainant

---

Name, Parentage, caste and address of accused

रामदास कुचबंदिया पिता मिठाईलाल उम्र 54 साल निवासी तिलक वार्ड सिवनी

The offence complained of, and date of, its alleged commision

आपने दिनॉक–09/08/26 को समय 18/30 बजे स्थान– जियो पेट्रोलपंप के पास ग्राम लीलाखेड़ी में अपने अधिपत्य में 5.4 लि० हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब को बिना वैध अनुाप्ति के रखी पाई गई।

और इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया जो म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

क्या आप अपराध की विशिष्टियां स्वीकार करते है अथवा प्रतिरक्षा चाहते है।

(सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिवनी (म.प्र.)

अभियुक्त का अभिवाक् है कि–

मुझे अपराध स्वीकार है

रामदास

(सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिवनी (म.प्र.)

Case No. Sum ,,,,,,
M.P. State vs. ....

:: निर्णय ::

(आज दिनांक 11/08/26 को घोषित)

1— अभियुक्त रामदास के विरूद्ध, म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत अपराध का आरोप है कि अभियुक्त ने दिनॉक—09/08/26 को समय लगभग 18/30 बजे, स्थान— जिंजी पेट्रोल पम्प के पास ग्राम सीलादेही में अपने आधिपत्य में 5 लीटर कच्ची महुआ शराब को बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे पाए गए।

2— अभियुक्त के अपराध की विशिष्टयां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त ने आरोपित अपराध स्वेच्छ्यापूर्वक करना स्वीकार किया है। अभियुक्त के द्वारा की गई स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है। अतः प्रकरण में अन्य कोई प्रतिकूलता न होने से **अभियुक्त** रामदास कुचबंदिया को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान अनुसार, म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत अपराध के आरोप में 1000/ **/—रूपये (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा** से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर उसे 10 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

3— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति देशी मदिरा/ कच्ची शराब मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे एवं विदेशी मदिरा होने की दशा में विधिवत निराकरण हेतु अपील अवधि पश्चात आबकारी विभाग सिवनी को प्रेषित किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

दिनांक :—
स्थान :—सिवनी।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

11/8/26

(सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिवनी (म.प्र.)